[कार्या]लय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

पीठासीन अधिकारी — राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 103/2023 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 कैलाश पिता धन्ना बैरवा उम्र–वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा

.... प्रार्थी

बनाम

1 राजेन्द्र पिता गोपाल चमार उम्र–वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा

2 मु.सुगनी पत्नि स्व. गोपाल चमार उम्र–वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा

3 ओमप्रकाश पिता हजारी खटीक उम्र–वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा

4 भागचन्द पिता हजारी खटीक उम्र–वयस्क निवासी कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा

5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::— श्री शिवराज शर्मा—— प्रार्थी अधिवक्ता

राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

श्री विजय पाराशर———अप्रार्थी संख्या 01, 02

निर्णय

दिनांक 2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 14.07.2023 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा कनेछनकलां पटवार मण्डल क्षेत्र कनेछनकलां भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां स्थित खसरा संख्या 6542/1595 प्रार्थी के एकल स्वामित्व में खातेदारी अधिकारों से अभिलिखित है। प्रार्थी के खातेदारी खसरान में आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपने खसरान तक पहुंचना पडता है। प्रार्थी वर्षो से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 के सहखातेदारी खसरान में से होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 से 04 के हक स्वामित्व की आराजी संख्या 1591, 1599 की मेड के सहारे सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी खसरे में पहुंच हेतु अप्रार्थीगणों के हक स्वामित्व के खसरा नम्बरान 1591, 1599 भूमि में से 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 20.07.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस, कारण दर्शित करने हेतु तलब किया गया। बाद परीक्षण/विश्लेषण अप्रार्थी संख्या 01, 02 के प्रस्तुतशुदा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सिविल प्रक्रिया संहिता मंजूर कर, अप्रार्थी संख्या 01, 02 का जवाब बहाल किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय पाराशर द्वारा अधिकार पत्र पैश किया गया परन्तु विहित समायावधी में जवाब प्रस्तुत नही कर पाने से प्रस्तुतिकरण जवाब का अवसर समाप्त किया गया। शेष रहे विपक्षी संख्या 03, 04 के विरूद्ध गैर हाजिरी पाये जाने पर एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार फुलियाकलां ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से यह अवगत कराया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है। तहसीलदार द्वारा मौजा कनेछनकलां पटवार मण्डल क्षेत्र कनेछनकलां भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां स्थित अप्रार्थी संख्या 03, 04 के सहखातेदार खसरा संख्या 1599 रकबा 0.26 में से 0.0080 हैक्टयर (20 मीटर बाई 4 मीटर/80 वर्गमीटर) भूभाग नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित किया गया है।

प्रार्थी के नियुक्त अधिवक्ता श्री शिवराज शर्मा ने अदालत में जैर बहस अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई वहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्र्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि–

1. **रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता :– प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच का कोई स्थाई मार्ग अथवा वैकल्पिक मार्ग मौके पर मौजूद नही है।**
2. **प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निर्बाध आवागमन के लिहाज से सबसे निकटतम व सुगमतम रास्ता है। जो राजस्व/नजरी नक्शे के अवलोकन से सिद्ध भी हुआ है।**

Scanned with OKEN Scanner

रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक से यह अवगत कराया गया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त मौके पर अन्य वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। फिर भी अप्रार्थीगण को न्यूनतम क्षति/असुविधा हो एवं उनका कम से कम रकबा प्रभावित हो इसे दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रार्थी के लिए प्रयुक्त कराये गये 04 मीटर चौडाई का नवीन मार्ग ही उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त एवं आवश्यक समझता है।

अतः मौजा कनेछनकलां पटवार मण्डल क्षेत्र कनेछनकलां भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां स्थित अप्रार्थी संख्या 03, 04 के सहखातेदार खसरा संख्या 1599 रकबा 0.26 में से 0.0080 हैक्टयर (20 मीटर बाई 4 मीटर/80 वर्गमीटर) नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायोचित मानता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके **मौजा कनेछनकलां पटवार मण्डल क्षेत्र कनेछनकलां भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र कनेछनकलां तहसील फुलियाकलां स्थित अप्रार्थी संख्या 03, 04 के सहखातेदार खसरा संख्या 1599 रकबा 0.26 में से 0.0080 हैक्टयर (20 मीटर बाई 4 मीटर/80 वर्गमीटर)** भूभाग मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार प्रभावित रकबा 0.0080 हैक्टेयर (80 वर्गमीटर) की मालियत राशि की तीन गुना राशि ..../– रूपये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 03, 04 (आराजी संख्या 1599 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में अदायगी कर दी जावेगी अथवा राजकोष में जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक. . . 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला शाहपुरा

Scanned with OKEN Scanner